झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक पुनरीक्षण सं० - 586/2022

-----

1. रूपक सिंह, उम्र लगभग 53 वर्ष, पिता स्वर्गीय सदानंद प्रसाद सिंह
2. नंद किशोर मेहता, उम्र लगभग 40 वर्ष, पिता श्री तुलसी मेहता

दोनों निवासी ग्राम - मसनोडीह, डाकघर-मसनोडीह, थाना-डोमचांच, जिला-कोडरमा ।

.... **याचिकाकर्ता**

-बनाम-

झारखंड राज्य .... **प्रतिवादी**

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद

माननीय न्यायमूर्ति नवनीत कुमार

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री आर.एस. मजूमदार, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रतिवादी-राज्य की ओर से : श्री शिव शंकर कुमार, ए.पी.पी.

12/दिनांक: 29 नवंबर, 2023

1. यह आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 सहपठित धारा 401 के तहत शिकारीपाड़ा थाना कांड संख्या 45/2014 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 163/2019 के संबंध में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश-I, दुमका द्वारा पारित दिनांक 18.04.2022 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर किया गया है, जिसके तहत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के तहत याचिकाकर्ताओं को आपराधिक दायित्व से मुक्त करने के लिए दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया है कि यह मानने का आधार है कि दोनों याचिकाकर्ताओं ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4,5 और धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध किए हैं।
2. उपरोक्त मामला इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन बाद में दिनांक 19.05.2023 के आदेश के तहत विद्वान एकल न्यायाधीश ने **राकेश साव @ साहू बनाम झारखंड राज्य**

2023(1) जेबीसीजे 88(एफ.बी) के मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में, कार्यालय को माननीय मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से इस मामले को खंडपीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया था और तदनुसार, तत्काल मामला इस पीठ को सौंप दिया गया है।

3. यद्यपि यह मामला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 सहपठित धारा 401 के अंतर्गत पुनरीक्षण के माध्यम से दायर किया गया है, लेकिन विद्वान एकल न्यायाधीश ने **राकेश साव @ साहू बनाम झारखंड राज्य (सुप्रा)** में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए आवेदन पर विचार करते हुए मामले को खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए संदर्भित किया है। यद्यपि इस मामले का नामकरण आपराधिक पुनरीक्षण है, लेकिन इसे उपरोक्त निर्णय के आलोक में आपराधिक अपील के रूप में माना जा रहा है, इस प्रकार, यह न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत आरोपित आदेश पर विचार कर रहा है।

4. इस मामले को दर्ज करने से संबंधित तथ्यात्मक मैट्रिक्स संक्षेप में इस प्रकार है:

गुप्त सूचना के आधार पर, एक पिकअप वैन जिसका रजिस्ट्रेशन नं. JH-12B-9369 था, को रोका गया तथा चालक ने अपना नाम नंद किशोर मेहता बताया तथा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया तथा बताया कि दस्तावेज वाहन मालिक रूपक सिंह के पास है तथा लोडिंग कोडरमा में की गई थी। आगे आरोप है कि सुरक्षा एवं सत्यापन के उद्देश्य से वाहन को थाने में लाकर रखा गया तथा 13.05.2014 को शाम 4:00 बजे तक जब वाहन मालिक कागजात के साथ नहीं आया तो दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में चालक से पिकअप वैन का लॉक खुलवाकर तलाशी ली गई तथा उसमें से 100 कार्टून बरामद किए गए, जिन पर EMULDYME लिखा था, जिनमें से प्रत्येक में 200 पीस जिलेटिन था, जिन्हें जब्त कर लिया गया तथा जब्ती सूची तैयार कर मामला दर्ज कर लिया गया।

5. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री आर.एस. मजूमदार ने यह आधार लिया है कि यदि मामले के आधार पर सम्पूर्ण सामग्री को ध्यान में रखा जाए, जैसा कि एफ.आई.आर से लिया गया और

जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री, जैसा कि केस डायरी में संदर्भित है, तो भी कोई मामला नहीं बनता है।

6. यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 जब्त पिकअप वैन का पंजीकृत मालिक है, जिसका पंजीकरण संख्या JH-12B-9369 है और उसके पास संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा जारी 2250 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जाने का लाइसेंस है, लाइसेंस संख्या E/EC/JH/25/426 (E69580) 31.03.2017 तक वैध है और याचिकाकर्ता संख्या 2 उक्त पिकअप वैन का चालक है और उक्त पिकअप वैन को विस्फोटक ले जाने के लिए मेसर्स झारखंड एक्सप्लोसिव्स प्राइवेट लिमिटेड, जिला-कोडरमा द्वारा दिनांक 15.03.2013 के समझौते के तहत किराए पर लिया गया था और यह दिखाने के लिए कि उक्त वाहन पर लोड किए गए विस्फोटक कानूनी और वैध थे, याचिका के साथ चालान की फोटोकॉपी भी दायर की गई है। यह तर्क दिया गया है कि वास्तविक दस्तावेजों के आधार पर, याचिकाकर्ता संख्या 2 ने 12.05.2014 को विस्फोटकों को अपने गंतव्य के लिए ले जाना शुरू किया, लेकिन शिकारीपारा थाना के प्रभारी अधिकारी द्वारा उसे रोक लिया गया और पुलिस स्टेशन ले जाया गया। हालांकि, याचिकाकर्ता संख्या 2 द्वारा सूचनाकर्ता के समक्ष सभी वैध और वास्तविक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के बावजूद, झूठे आरोपों के साथ निराधार मामला दर्ज किया गया।

7. इसके अलावा, राजीव थापर एवं अन्य बनाम मदन लाल कपूर (2013) 3 एससीसी 330 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए तर्क दिया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 482 सीआरपीसी के तहत उच्च न्यायालय में निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए अभियुक्त द्वारा उठाए गए निरस्तीकरण के लिए प्रार्थना की सत्यता निर्धारित करने के लिए कदम निर्धारित किए हैं, पैरा 30.1 में कहा गया है कि क्या अभियुक्त द्वारा भरोसा की गई सामग्री ठोस, उचित और निर्विवाद है, यानी सामग्री उत्कृष्ट और त्रुटिहीन गुणवत्ता की है और उपरोक्त चरण का उत्तर सकारात्मक है, उच्च न्यायालय को धारा 482 सीआरपीसी के तहत ऐसी आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करना चाहिए।

8. कानून के उक्त प्रस्ताव के आधार पर यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं को मुकदमे की कठोरता का सामना करने के लिए कोई तत्व

नहीं है। आगे यह तर्क दिया गया है कि हालांकि पैराग्राफ 149 के तहत केस डायरी में, जिसे विद्वान न्यायालय ने नोट किया है, जिसमें जांच अधिकारी ने यह तथ्य प्रस्तुत किया है कि पिक-अप वैन नंबर JH-12D-9369 में ले जाए जा रहे विस्फोटक से संबंधित लाइसेंस असली नहीं पाया गया, लेकिन इसमें की गई उक्त शर्त को सही नहीं कहा जा सकता है, यदि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में इस न्यायालय के समक्ष दायर जवाबी हलफनामे में किया गया कथन सही है, जिससे यह स्पष्ट है कि विस्फोटक लाइसेंस की वास्तविकता पर संदेह नहीं किया गया है।

9. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने उपरोक्त आधार पर प्रस्तुत किया है कि विद्वान न्यायालय को सी.आर.पी.सी की धारा 227 के तहत दायर याचिका में की गई प्रार्थना पर विचार करते समय मामले के इस पहलू पर विचार करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं करने के कारण, चूंकि, विद्वान न्यायालय को संबंधित सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट मांगनी चाहिए थी, जिसे विस्फोटक लाइसेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, तब जो भी सामग्री जांच के दौरान एकत्र की गई थी, जैसा कि केस डायरी के पैरा 149 में संदर्भित किया गया है, उसका सत्यापन किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है, इसलिए, अभियुक्तों, याचिकाकर्ताओं के निर्वहन को खारिज करने वाला आक्षेपित आदेश दुर्बलता से ग्रस्त है, इसलिए, कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं है।

10. दूसरी ओर, प्रतिवादी झारखंड राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री शिव शंकर कुमार ने दलील दी है कि याचिकाकर्ताओं का यह तर्क गलत है कि आरोप तय करने के लिए विद्वान अदालत के समक्ष कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी, बल्कि विद्वान अदालत के समक्ष पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है, जैसा कि केस डायरी के पैराग्राफ 38, 41, 42, 60, 69, 70, 74, 78 और 149 में संदर्भित एकत्रित सामग्री से पता चलता है।

11. विद्वान न्यायालय ने उक्त पैराग्राफों में उल्लिखित सम्पूर्ण सामग्री पर विचार किया है तथा विशेष रूप से केस डायरी के पैरा 149 का संदर्भ दिया है, जिसमें जांच अधिकारी द्वारा यह संकेत दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के सत्यापन पर वह सही नहीं पाया गया तथा विद्वान न्यायालय ने इस स्वीकृत स्थिति पर भी विचार किया है कि

याचिकाकर्ता संख्या 1 उस वाहन का मालिक है तथा याचिकाकर्ता संख्या 2 उस वाहन का चालक है, जिससे विस्फोटक जब्त किया गया था।

12. विद्वान न्यायालय ने उपरोक्त तथ्य पर विचार करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला है कि आरोप निर्धारण के चरण में न्यायालय को केवल जांच के दौरान एकत्रित सामग्री का अध्ययन करना है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि पर्याप्त आधार है या नहीं तथा सी.आर.पी.सी की धारा 228 के अंतर्गत आरोप निर्धारण के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं।

13. यह भी देखा गया है कि आरोप तय करने के चरण में अदालत को जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य और अन्य सामग्री पर सावधानीपूर्वक विचार करने में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

14. इसके अतिरिक्त, विद्वान एपीपी ने प्रस्तुत किया है कि मामले की सुनवाई के दौरान विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 18.08.2022 के आदेश के तहत राज्य को निर्देश दिया गया था, जिसके तहत विद्वान एकल न्यायाधीश ने जवाबी हलफनामा दायर करने और केस डायरी की साफ-सुथरी टाइप की गई प्रति पेश करने और याचिकाकर्ताओं की ओर से तत्काल आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन में दायर अनुलग्नक-2 और अनुलग्नक-3 पर निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया है।

15. उपरोक्त आदेश के संदर्भ में जवाबी हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें पैरा-8, 9, 10 और 11 में यह कहते हुए दावा किया गया है कि जैसा कि केस डायरी के पैरा 38 में संदर्भित है कि कुछ दस्तावेज अर्थात लाइसेंस संख्या E/HQ/JH/190 (E-6215) LE-3 फॉर्म में मेसर्स झारखंड स्टेट एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड, सहाना रोड कोडरमा के पक्ष में इसके जारी करने वाले प्राधिकारी वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया, लाइसेंस संख्या E/HQ/JH/21/191(E-18) और E/HQ/JH/22/236 (E-6217) दोनों अमित कुमार सिंह के पक्ष में जारी किए गए जैसा कि केस डायरी के पैरा-39 में संदर्भित है और अमित कुमार सिंह, झारखंड एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड के बीच चार लीज धारकों के बीच समझौते की प्रति अर्थात (1) मेसर्स रामजानकी मिनरल्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, सियालपहाड़ी, (2) राजेश हेम्ब्रोम निवासी चित्रगड़िया, (3) अतालिम एस.के.

और (4) राजेश कुमार सभी थाना-शिकारीपाड़ा जिला-दुमका, जो ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग के उद्देश्य से बनाए गए थे।

16. जवाबी हलफनामे के पैरा 9 में कहा गया है कि जांच अधिकारी ने झारखंड एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड का फॉर्म 11 और 12 प्राप्त किया था और उसकी जांच करने पर जांच अधिकारी ने पाया कि परिवहन के लिए वाहन का लाइसेंस E/EC/जJH/25/426 (E-69580) है, वाहन का पंजीकरण नंबर JH-12D-9369 (टाटा 407 पिकअप वैन) वहां निर्दिष्ट किया गया है, जैसा कि केस डायरी के पैरा 42 में उल्लेख किया गया है।

17. जवाबी हलफनामे के पैरा 10 का संदर्भ भी दिया गया है, जिसमें जांच अधिकारी ने झारखंड एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुए समझौते के आलोक में केस डायरी के पैरा 69 में लीज धारक राजेश हेम्ब्रोम का बयान दर्ज किया था और राजेश हेम्ब्रोम ने इनकार किया था और कहा था कि उन्होंने झारखंड एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं किया है, जैसा कि केस डायरी के पैरा 69 में उल्लेख किया गया है।

18. पैरा 11 में आगे कहा गया है कि राजेश कुमार के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अशोक कुमार चौधरी का बयान है और उन्होंने लिखित रूप से यह कहते हुए इनकार किया है कि उन्होंने झारखंड एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड के साथ कोई समझौता नहीं किया है, जैसा कि केस डायरी के पैरा 70 में उल्लेख किया गया है।

19. जवाबी हलफनामे के पैरा-16 का संदर्भ भी दिया गया है जिसमें संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, पूर्वी केंद्र, कोलकाता के कार्यालय से लाइसेंस संख्या ई/ईसी/जेएच/25/426 (E-69580) की वास्तविकता और संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के पत्र संख्या E.3(6) विविध खंड-II/2900 दिनांक 01.09.2022 द्वारा सत्यापित किया गया कि लाइसेंस संख्या E/EC/JH/25/426 (E-69580) रूपक सिंह के पक्ष में उनके कार्यालय से 17.10.2012 को जारी किया गया और 10.04.2017 को आगे नवीनीकृत किया गया जो 31.03.2022 तक प्रभावी था।

20. विद्वान ए.पी.पी ने प्रस्तुत किया है कि हालांकि सत्यापन पर यह पता चला है कि लाइसेंस को 31.03.2022 तक नवीनीकृत किया गया था, लेकिन यह याचिकाकर्ताओं को आपराधिक दायित्व से मुक्त करने का आधार नहीं हो

सकता है क्योंकि यह स्वीकार किया गया मामला है कि जिस समय वाहन के चालक द्वारा दस्तावेज पेश किया गया था, उस समय दस्तावेज असली नहीं पाया गया था। इसके अलावा, अदालत ने केवल इस आधार पर डिस्चार्ज आवेदन को खारिज नहीं किया है कि लाइसेंस वैध था, बल्कि झारखंड एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड और राजेश हेम्ब्रोम के बीच संपन्न समझौते को जाली पाया गया है क्योंकि उक्त समझौते के निष्पादक द्वारा याचिकाकर्ता के साथ किसी भी समझौते में प्रवेश करने का विवाद किया गया है, ऐसे में, विद्वान अदालत ने विभिन्न पैराग्राफों में रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए और सीआरपीसी की धारा 227 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय उपलब्ध सामग्री को देखने के अधिकार क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, प्रथम दृष्टया जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री को सी.आर.पी.सी की धारा 228 के अनुसार आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार पाया है।

21. विद्वान न्यायालय ने यदि अपने समक्ष उपलब्ध उपरोक्त सामग्री के आधार पर सीआरपीसी की धारा 227 के तहत दायर याचिका को स्वीकार करने से इंकार कर दिया है, तो इसे त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता।

22. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी हैं, रिकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया है, साथ ही केस डायरी और जवाबी हलफनामे की विषय-वस्तु का भी अवलोकन किया है।

23. इस समय यह न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के अंतर्गत उन्मोचन के सिद्धांत पर चर्चा करना उचित समझता है।

24. धारा 227 सीआरपीसी में दो महत्वपूर्ण घटक हैं - (ए) अभियुक्त की दलीलें सुनने के बाद और (बी) अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।

25. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 'आरोपी के प्रस्तुतीकरण पर सुनवाई' के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए **उड़ीसा राज्य बनाम देबेन्द्र नाथ पाढ़ी [एआईआर 2005 एससी 359: (2005) 1 एससीसी 568]** के मामले में इस पर विचार किया है, जिसमें पैराग्राफ 18 में यह माना गया है:

> "**18.** हम उपरोक्त तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। अनुच्छेद 14 और 21 पर भरोसा करना गलत है। संहिता की योजना और

जिस उद्देश्य से धारा 227 को शामिल किया गया था और धारा 207 और 207-ए को छोड़ा गया था, वह पहले ही देखा जा चुका है। इसके अलावा, आरोप तय करने के चरण में भटकना और मछली पकड़ना अस्वीकार्य है। यदि अभियुक्त के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो आरोप तय करने के चरण में एक छोटा-सा परीक्षण होगा। इससे संहिता का उद्देश्य विफल हो जाएगा। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि आरोप तय करने के चरण में अभियुक्त का बचाव नहीं किया जा सकता है। अभियुक्त के विद्वान वकील के तर्क को स्वीकार करने का मतलब होगा कि अभियुक्त को आरोप तय करने के चरण में अपना बचाव पेश करने और उस चरण में उसकी जांच करने की अनुमति देना जो आपराधिक न्यायशास्त्र के खिलाफ है। उदाहरण के लिए, यह ध्यान दिया जा सकता है कि यदि अभियुक्त के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो अभियुक्त द्वारा ली गई गैर-हाजिरी की दलील की जांच आरोप तय करने के चरण में की जानी चाहिए, भले ही यह स्थापित प्रस्ताव हो कि अभियुक्त को इस तरह की दलील को बनाए रखने के लिए मुकदमे में साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए। यदि हम अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत तर्क को स्वीकार करते हैं, तो अभियुक्त आरोप तय करने के चरण में ऐसी दलील के सबूत के रूप में सामग्री और दस्तावेज प्रस्तुत करने का हकदार होगा। सौ से अधिक वर्षों से स्थापित कानून का यह कभी भी उद्देश्य नहीं रहा है। इसी प्रकाश में धारा 227 द्वारा निर्धारित अभियुक्त के तर्कों की सुनवाई के प्रावधान को समझा जाना चाहिए। इसका मतलब केवल अभियोजन पक्ष द्वारा दायर मामले के रिकॉर्ड और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर अभियुक्त के तर्कों की सुनवाई करना है और इससे अधिक कुछ नहीं। "अभियुक्त के तर्कों की सुनवाई" का अर्थ अभियुक्त को सामग्री दाखिल करने का अवसर प्रदान करना और इस तरह स्थापित कानून को बदलना नहीं हो सकता है। आरोप तय करने के चरण में आरोपी की दलीलें पुलिस द्वारा पेश की गई सामग्री तक ही सीमित रहनी चाहिए।"

[जोर दिया गया]

दूसरे घटक यानी, 'आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं', पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **यूनियन ऑफ इंडिया बनाम प्रफुल्ल कुमार सामल एवं अन्य [(1979) 3 एससीसी 4]** के मामले में विचार किया है, जिसमें पैराग्राफ 7 में यह निम्नानुसार माना गया है:

"7. संहिता की धारा 227 इस प्रकार है:

"यदि मामले के रिकॉर्ड और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करने के बाद, तथा अभियुक्त और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश को लगता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह अभियुक्त को बरी कर देगा और ऐसा करने के उसके कारणों को दर्ज करेगा।"

> "अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं" शब्द स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि न्यायाधीश अभियोजन पक्ष के आदेश पर आरोप तय करने वाला मात्र डाकघर नहीं है, बल्कि उसे मामले के तथ्यों पर अपने न्यायिक दिमाग का इस्तेमाल करना होता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि अभियोजन पक्ष द्वारा मुकदमा चलाने के लिए मामला बनाया गया है या नहीं। इस तथ्य का आकलन करते समय, न्यायालय के लिए मामले के पक्ष-विपक्ष में प्रवेश करना या साक्ष्य और संभावनाओं का वजन और संतुलन करना आवश्यक नहीं है, जो वास्तव में मुकदमा शुरू होने के बाद उसका कार्य है। धारा 227 के चरण में, न्यायाधीश को केवल यह पता लगाने के लिए साक्ष्यों को छांटना होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। आधार की पर्याप्तता पुलिस द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की प्रकृति को ध्यान में रखेगी जो स्पष्ट रूप से यह प्रकट करते हैं कि अभियुक्त के विरुद्ध संदेहास्पद परिस्थितियाँ हैं ताकि उसके विरुद्ध आरोप तय किया जा सके।"

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **ओंकार नाथ मिश्रा एवं अन्य बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) एवं अन्य [(2008) 2 एससीसी 561]** के मामले में आरोप तय करने के उचित आधार पर आगे विचार किया है, जिसमें पैराग्राफ 11, 12 और 14 में निम्नानुसार माना गया है:

> "**11.** यह सामान्य बात है कि आरोप तय करने के चरण में न्यायालय को अभिलेख पर मौजूद सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन करना होता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उनसे उभरने वाले तथ्य, उनके अंकित मूल्य पर, कथित अपराध के सभी तत्वों के अस्तित्व का खुलासा करते हैं। उस चरण में, न्यायालय से अभिलेख पर मौजूद सामग्री के सत्यापन मूल्य में गहराई से जाने की अपेक्षा नहीं की जाती है। इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या यह मानने का कोई आधार है कि अपराध किया गया है और अभियुक्त को दोषी ठहराने का कोई

आधार नहीं बनाया गया है। उस चरण में, सामग्री पर आधारित मजबूत संदेह भी, जो न्यायालय को कथित अपराध के तथ्यात्मक तत्वों के अस्तित्व के बारे में एक अनुमानात्मक राय बनाने के लिए प्रेरित करता है, उस अपराध के संबंध में अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय करने को उचित ठहराएगा।

12. **कर्नाटक राज्य बनाम एल. मुनिस्वामी [(1977) 2 एससीसी 699: 1977 एससीसी (क्रि) 404]** में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने टिप्पणी की थी कि आरोप तय करने के चरण में, न्यायालय को इस प्रश्न पर विचार करना होगा कि क्या अभियुक्त द्वारा अपराध किए जाने का अनुमान लगाने का कोई आधार है या नहीं। चूंकि आरोप तय करने से व्यक्ति की स्वतंत्रता पर काफी हद तक असर पड़ता है, इसलिए इस तरह के आदेश की गारंटी देने वाली सामग्री पर उचित विचार करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

14. **मध्य प्रदेश राज्य बनाम मोहनलाल सोनी [(2000) 6 एससीसी 338: 2000 एससीसी (क्रि) 1110]** में बाद में दिए गए फैसले में इस न्यायालय ने कई पिछले फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि: (एससीसी पृष्ठ 342, पैरा 7)

> " 7. स्पष्ट न्यायिक दृष्टिकोण यह है कि आरोप तय करने के चरण में, न्यायालय को प्रथम दृष्टया यह विचार करना होगा कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने के लिए साक्ष्य की सराहना करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रस्तुत सामग्री अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है या नहीं।"

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **विजयन बनाम केरल राज्य एवं अन्य [(2010) एससीसी 398 एससी]** और **यूनियन ऑफ इंडिया बनाम प्रफुल्ल कुमार सामल एवं अन्य [(1979) 3 एससीसी 4]** मामले में दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

इसी प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सज्जन कुमार बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो [(2010) 9 एससीसी 368]** के मामले में पैराग्राफ 21 में भी ऐसे दिशानिर्देश तैयार किए हैं, जो इस प्रकार हैं:

> **"21.** धारा 227 और 228 के दायरे के बारे में अधिकारियों द्वारा विचार किए जाने पर, निम्नलिखित सिद्धांत सामने आते हैं:

(i) धारा 227 सीआरपीसी के तहत आरोप तय करने के सवाल पर विचार करते समय न्यायाधीश के पास सबूतों को छांटने और तौलने का निस्संदेह अधिकार है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। प्रथम दृष्टया मामला निर्धारित करने का परीक्षण प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

(ii) जहां अदालत के समक्ष प्रस्तुत सामग्री आरोपी के खिलाफ गंभीर संदेह प्रकट करती है, जिसे ठीक से स्पष्ट नहीं किया गया है, अदालत आरोप तय करने और मुकदमे को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से न्यायसंगत होगी।

(iii) न्यायालय केवल डाकघर या अभियोजन पक्ष के मुखपत्र के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, बल्कि उसे मामले की व्यापक संभावनाओं, साक्ष्यों और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के समग्र प्रभाव, किसी भी बुनियादी कमियों आदि पर विचार करना होता है। हालांकि, इस स्तर पर मामले के पक्ष और विपक्ष में कोई जांच नहीं की जा सकती है और साक्ष्यों का मूल्यांकन इस तरह नहीं किया जा सकता है जैसे कि वह मुकदमा चला रहा हो।

(iv) यदि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर न्यायालय यह राय बना सकता है कि अभियुक्त ने अपराध किया हो सकता है, तो वह आरोप तय कर सकता है, हालांकि दोषसिद्धि के लिए यह निष्कर्ष उचित संदेह से परे साबित होना आवश्यक है कि अभियुक्त ने अपराध किया है।

(v) आरोप तय करते समय, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के सत्यापन मूल्य पर विचार नहीं किया जा सकता है, लेकिन आरोप तय करने से पहले न्यायालय को रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री पर अपना न्यायिक दिमाग लगाना चाहिए और संतुष्ट होना चाहिए कि अभियुक्त द्वारा अपराध करना संभव था।

(vi) धारा 227 और 228 के चरण में, न्यायालय को अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन करना आवश्यक है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उनसे उभरने वाले तथ्य, उनके अंकित मूल्य पर, कथित अपराध के सभी तत्वों के अस्तित्व को प्रकट करते हैं। इस सीमित उद्देश्य के लिए, साक्ष्यों की छानबीन करें, क्योंकि उस प्रारंभिक चरण में भी यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि अभियोजन पक्ष द्वारा बताई गई सभी बातों को सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाए, भले ही वह सामान्य ज्ञान या मामले की व्यापक संभावनाओं के विपरीत हो।

(vii) यदि दो दृष्टिकोण संभव हैं और उनमें से एक गंभीर संदेह से अलग केवल संदेह को जन्म देता है, तो ट्रायल जज को अभियुक्त को बरी करने का अधिकार होगा और इस चरण में, उसे यह नहीं देखना है कि ट्रायल दोषसिद्धि या बरी होने के साथ समाप्त होगा या नहीं।

तमिलनाडु राज्य, पुलिस निरीक्षक सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक बनाम एन. सुरेश राजन एवं अन्य [(2014) 11 एससीसी 709] द्वारा प्रस्तुत मामले में यह माना गया है कि आरोप मुक्त करने के लिए आवेदन पर विचार करने के चरण में न्यायालय को यह मानकर आगे बढ़ना होगा कि अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री सत्य है और उक्त सामग्री एवं दस्तावेजों का मूल्यांकन यह पता लगाने के लिए करना होगा कि क्या उनसे उभरने वाले तथ्य, उनके अंकित मूल्य पर, कथित अपराध के सभी तत्वों के अस्तित्व को प्रकट करते हैं।

कर्नाटक राज्य लोकायुक्त, पुलिस स्टेशन, बेंगलुरु बनाम एम.आर. हिरेमठ (2019) 7 एससीसी 515 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि डिस्चार्ज के लिए आवेदन पर विचार करने के चरण में न्यायालय को इस धारणा पर आगे बढ़ना चाहिए कि अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री सत्य है और यह निर्धारित करने के लिए सामग्री का मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या उसके अंकित मूल्य पर ली गई सामग्री से उभरने वाले तथ्य अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक तत्वों के अस्तित्व का खुलासा करते हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **श्योराज सिंह अहलावत एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य [(2013) 11 एससीसी 476]** के मामले में माना है कि आरोप तय करते समय न्यायालय को रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन करना आवश्यक है ताकि यह तय किया जा सके कि क्या यह मानने का कोई आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है। अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए साक्ष्य की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री को सत्य माना जा सकता है, लेकिन उस स्तर पर उनके सत्यापन योग्य मूल्य का निर्णय नहीं किया जा सकता है। अभियुक्त अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर ही डिस्चार्ज आवेदन पर विचार

करते समय अपने तर्कों पर जोर देने का हकदार है, लेकिन वह उस स्तर पर कोई भी सामग्री पेश करने का हकदार नहीं है और न्यायालय को ऐसी किसी भी सामग्री पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि दो दृष्टिकोण संभव हैं और उनमें से एक गंभीर संदेह से अलग केवल संदेह को जन्म देता है, तो ट्रायल जज को ट्रायल के परिणाम की परवाह किए बिना अभियुक्त को डिस्चार्ज करने का अधिकार है।

26.इस समय दिनांक 18.04.2022 के आदेश की वैधता और तर्कसंगतता की जांच करने से पहले, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 228 के दायरे और प्रयोज्यता पर भी चर्चा करना उचित होगा। त्वरित संदर्भ के लिए सीआरपीसी की धारा 228 को नीचे उद्धृत किया जा रहा है:

> “**(1)** यदि पूर्वोक्त विचार और सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश की यह राय है कि यह मानने का आधार है कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है जो
>
> (क) सत्र न्यायालय द्वारा अनन्य रूप से विचारणीय नहीं है, तो वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित कर सकता है और आदेश द्वारा मामले को विचारण के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित कर सकता है और उसके पश्चात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया के अनुसार अपराध का विचारण करेगा;
>
> (ख) न्यायालय द्वारा अनन्य रूप से विचारणीय है, तो वह अभियुक्त के विरुद्ध लिखित रूप में आरोप विरचित करेगा।
>
> **(2)** जहां न्यायाधीश उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कोई आरोप विरचित करता है, वहां आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया जाएगा और समझाया जाएगा और अभियुक्त से पूछा जाएगा कि क्या वह आरोपित अपराध के लिए दोषी है या विचारण का दावा करता है।”

उपर्युक्त प्रावधान के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आरोप तय करने का प्रश्न तभी उठता है जब न्यायालय पाता है कि अभियुक्त सत्र मामलों में उन्मोचन का हकदार नहीं है और अभियुक्त को उन्मोचित करने से संबंधित प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण हैं और न्यायाधीश को पहले यह विचार करना चाहिए कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई पर्याप्त आधार हैं या नहीं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पलविंदर सिंह बनाम बलविंदर सिंह एवं अन्य (2009) 3 एससीसी (क्रिमिनल) 850** के मामले में यह माना है कि मजबूत संदेह के आधार पर भी आरोप तय किए जा सकते हैं। उस समय साक्ष्यों का संग्रह और मूल्यांकन न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सज्जन कुमार बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो [(2010) 9 एससीसी 368]** के मामले में यह माना है कि धारा 228 सीआरपीसी के तहत आरोप तय करने के चरण में संबंधित न्यायाधीश को पक्ष-विपक्ष, विश्वसनीयता और स्वीकार्यता आदि सहित सभी सामग्रियों का विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है; साक्ष्य के मूल्य और उसकी विश्वसनीयता और सत्यता पर विचार परीक्षण के चरण में किया जाना चाहिए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **राज्य पुलिस निरीक्षक, चेन्नई बनाम एस. सेल्वी एवं अन्य, (2018) 13 एससीसी 455** में रिपोर्ट किए गए मामले में स्पष्ट रूप से माना है कि धारा 228 के चरण में, न्यायालय को रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उनके सामने आने वाले तथ्यों से कथित अपराध के सभी तत्वों का पता चलता है। इस सीमित उद्देश्य के लिए, साक्ष्यों की जांच करें क्योंकि उस प्रारंभिक चरण में भी यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि अभियोजन पक्ष द्वारा बताई गई सभी बातों को सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाए, भले ही वह सामान्य ज्ञान या मामले की व्यापक संभावनाओं के विपरीत हो।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सीबीआई बनाम डॉ. अनूप कुमार श्रीवास्तव (सुप्रा)** के मामले में स्पष्ट रूप से माना है कि कानूनी स्थिति अच्छी तरह से स्थापित है कि आरोप तय करने के चरण में ट्रायल कोर्ट को अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री की विस्तार से जांच और आकलन नहीं करना है और न ही अदालत को आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कथित अपराध को स्थापित करने के लिए सामग्री की पर्याप्तता पर विचार करना है। आरोप के चरण में न्यायालय को केवल इस दृष्टिकोण से सामग्री की जांच करनी है कि वह संतुष्ट हो जाए कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कथित अपराध के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि आरोप तय करना आपराधिक मुकदमे में पहला बड़ा कदम है, जहां न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह न्यायालय के समक्ष रखे गए संपूर्ण रिकॉर्ड और दस्तावेजों पर अपना दिमाग लगाए। किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए न्यायालय द्वारा दिमाग लगाने की आवश्यकता बताई गई है, लेकिन आरोप तय करना एक बड़ी घटना है, जहां न्यायालय आरोपी को उस अपराध से मुक्त करने की संभावना पर विचार करता है, जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है या आरोपी को मुकदमे का सामना करने की आवश्यकता होती है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक मामलों में आरोप तय करने के संबंध में न्यायालय की शक्तियों के दायरे को रेखांकित किया है, जिनमें से एक दीपकभाई जगदीशचंद्र पटेल बनाम गुजरात राज्य, (2019) 16 एससीसी 547 है, जिसमें आरोप तय करने और आरोप मुक्त करने से संबंधित कानून पर पैराग्राफ 15 और 23 में विस्तार से चर्चा की गई है और उन्हें निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"15. इस संबंध में हम बिहार राज्य बनाम रमेश सिंह [बिहार राज्य बनाम रमेश सिंह, (1977) 4 एससीसी 39] में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दे सकते हैं, जिसमें इस न्यायालय ने आरोप तय करने और आरोप मुक्त करने से संबंधित सिद्धांत निम्नानुसार निर्धारित किए हैं: (एससीसी पृष्ठ 41-42, पैरा 4)

I. "**4.** ... धारा 227 और 228 को एक साथ पढ़ने पर, जैसा कि उन्हें होना चाहिए, यह स्पष्ट होगा कि मुकदमे की शुरुआत और प्रारंभिक चरण में अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए जाने वाले साक्ष्य की सच्चाई, सत्यता और प्रभाव का सावधानीपूर्वक न्याय नहीं किया जाना चाहिए। न ही अभियुक्त के संभावित बचाव को कोई महत्व दिया जाना चाहिए। मुकदमे के उस चरण में न्यायाधीश के लिए किसी भी विस्तार से विचार करना और संवेदनशील संतुलन में तौलना अनिवार्य नहीं है कि क्या तथ्य, यदि साबित हो जाते हैं, अभियुक्त की निर्दोषता के साथ असंगत होंगे या नहीं। परीक्षण और निर्णय का वह मानक जिसे अभियुक्त के अपराध या अन्यथा के बारे में निष्कर्ष दर्ज करने से पहले अंतिम रूप से लागू किया जाना है, उसे संहिता की धारा 227 या धारा 228 के तहत मामले का फैसला करने के चरण में बिल्कुल

लागू नहीं किया जाना चाहिए। उस अवस्था में न्यायालय को यह नहीं देखना होता कि अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं या फिर क्या मुकदमा उसके दोषी ठहराए जाने के साथ ही समाप्त होगा। यदि मामला संदेह के दायरे में रहता है तो अभियुक्त के विरुद्ध प्रबल संदेह मुकदमे के समापन पर उसके अपराध के प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता। लेकिन आरंभिक अवस्था में यदि प्रबल संदेह है जिसके कारण न्यायालय को लगता है कि अभियुक्त द्वारा अपराध किए जाने का अनुमान लगाने का आधार है तो न्यायालय यह नहीं कह सकता कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। आरंभिक अवस्था में अभियुक्त के अपराध का अनुमान फ्रांस में आपराधिक मामलों के परीक्षण को नियंत्रित करने वाले कानून के अर्थ में नहीं है जहां अभियुक्त को तब तक दोषी माना जाता है जब तक कि विपरीत साबित न हो जाए। लेकिन यह केवल प्रथम दृष्टया यह तय करने के उद्देश्य से है कि न्यायालय को मुकदमे को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं। यदि अभियोक्ता द्वारा अभियुक्त के अपराध को सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला साक्ष्य, चाहे वह जिरह में चुनौती दिए जाने से पहले पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया हो या बचाव पक्ष के साक्ष्य द्वारा खंडन किया गया हो, यह नहीं दिखा सकता कि अभियुक्त ने अपराध किया है, तो मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं होगा। ... यदि मुकदमे के समापन पर अभियुक्त के अपराध या निर्दोषता के बारे में तराजू कुछ हद तक बराबर हैं, तो संदेह के लाभ के सिद्धांत पर मामला उसके बरी होने पर समाप्त होगा। लेकिन यदि, दूसरी ओर, धारा 227 या धारा 228 के तहत आदेश देने के प्रारंभिक चरण में ऐसा है, तो ऐसी स्थिति में आमतौर पर और आम तौर पर जो आदेश देना होगा वह धारा 228 के तहत होगा न कि धारा 227 के तहत।" 23. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार आरोप तय करने के चरण में, न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह मात्र डाकघर की तरह काम न करे। न्यायालय को अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्री की जांच करनी चाहिए। जांच की जाने वाली सामग्री वह सामग्री होगी जो अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई है और जिस पर भरोसा किया गया है। जांच इस अर्थ में सावधानीपूर्वक नहीं की जानी चाहिए कि न्यायालय पूर्ण परीक्षण के बाद संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के पश्चात दलीलें सुनने वाले ट्रायल जज की भूमिका में आ जाए और प्रश्न यह नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त

को दोषी ठहराने के लिए मामला बनाया है या नहीं। केवल इतना ही आवश्यक है कि न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि उपलब्ध सामग्री के साथ, अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए मामला बनता है। एक मजबूत संदेह ही पर्याप्त है। हालांकि, एक मजबूत संदेह किसी सामग्री पर आधारित होना चाहिए। सामग्री ऐसी होनी चाहिए जिसे परीक्षण के चरण में साक्ष्य में बदला जा सके। प्रबल संदेह न्यायाधीश की नैतिक धारणाओं पर आधारित विशुद्ध व्यक्तिपरक संतुष्टि नहीं हो सकता कि यह एक ऐसा मामला है जहाँ यह संभव है कि अभियुक्त ने अपराध किया है। प्रबल संदेह वह संदेह होना चाहिए जो किसी ऐसी सामग्री पर आधारित हो जो न्यायालय को प्रथम दृष्टया यह मानने के लिए पर्याप्त हो कि अभियुक्त ने अपराध किया है।"

हाल ही में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने **गुलाम हसन बेग बनाम मोहम्मद मकबूल माग्रे, (2022) 12 एससीसी 657** के मामले में आरोप तय करने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की है और पैराग्राफ 27 में निम्नलिखित निर्णय दिया है:

"**27.** इस प्रकार, उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि ट्रायल कोर्ट को आरोप तय करते समय अपने विवेक का प्रयोग करने का कर्तव्य सौंपा गया है और उसे केवल डाकघर के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए। पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप-पत्र पर बिना विवेक का प्रयोग किए तथा अपनी राय के समर्थन में संक्षिप्त कारण दर्ज किए बिना पृष्ठांकन करना कानून द्वारा समर्थित नहीं है। हालांकि, आरोप तय करते समय न्यायालय द्वारा जिस सामग्री का मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित है, वह वह सामग्री होनी चाहिए जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया हो तथा जिस पर भरोसा किया गया हो। ऐसी सामग्री की छानबीन इतनी सावधानी से नहीं की जानी चाहिए कि यह अभ्यास अभियुक्त के अपराध या अन्यथा का पता लगाने के लिए एक छोटा परीक्षण बन जाए। इस स्तर पर केवल इतना ही आवश्यक है कि न्यायालय को यह संतुष्ट होना चाहिए कि अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य यह मानने के लिए पर्याप्त हैं कि अभियुक्त ने कोई अपराध किया है। यहां तक कि एक मजबूत संदेह भी पर्याप्त होगा। निस्संदेह, धारा 173 सीआरपीसी के तहत अभियोजन पक्ष द्वारा अंतिम रिपोर्ट के रूप में अदालत के समक्ष प्रस्तुत सामग्री के अलावा, अदालत किसी अन्य साक्ष्य या सामग्री पर भी भरोसा कर

सकती है जो उत्कृष्ट गुणवत्ता की हो और अभियोजन पक्ष द्वारा उसके समक्ष लगाए गए आरोप से सीधे संबंधित हो।

27. इस प्रकार उपरोक्त कानूनी प्रस्तावों से यह सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि धारा 227 सीआरपीसी के आदेश के अनुसार, यदि मामले के रिकॉर्ड और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करने के बाद, और इस संबंध में अभियुक्त और अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद, न्यायाधीश का मानना है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारणों को दर्ज करेगा।

इसके अलावा, धारा 228 सीआरपीसी के अनुसार, उसके बाद ही और यदि पूर्वोक्त विचार और सुनवाई के बाद न्यायाधीश की राय है कि यह मानने का आधार है कि अभियुक्त ने कोई अपराध किया है, तो ट्रायल कोर्ट आरोप तय करेगा।

इसलिए, धारा 227 सीआरपीसी के तहत डिस्चार्ज का चरण आरोप तय करने से पहले का चरण है (धारा 228 सीआरपीसी के तहत) और एक बार जब अदालत डिस्चार्ज आवेदन को खारिज कर देती है, तो वह धारा 228 सीआरपीसी के तहत आरोप तय करने के लिए आगे बढ़ेगी।

28. धारा 227 के स्तर पर, न्यायाधीश को केवल साक्ष्यों को छांटना और तौलना होता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं और दूसरे शब्दों में, आधारों की पर्याप्तता पुलिस द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की प्रकृति को अपने दायरे में लेगी जो स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं कि अभियुक्त के विरुद्ध संदेहास्पद परिस्थितियाँ हैं ताकि उसके विरुद्ध आरोप तय किया जा सके और उसके बाद यदि न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं, तो वह धारा 228 सीआरपीसी के अंतर्गत आरोप तय करेगा, यदि नहीं, तो वह अभियुक्त को आरोपमुक्त कर देगा। अभियोजन पक्ष द्वारा मुकदमे के लिए मामला बनाया गया है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए मामले के तथ्यों पर अपने न्यायिक दिमाग का प्रयोग करते समय, न्यायालय के लिए मामले के पक्ष और विपक्ष में प्रवेश करना या साक्ष्य और संभावनाओं का वजन और संतुलन

करना आवश्यक नहीं है जो वास्तव में न्यायालय का कार्य है, मुकदमा शुरू होने के बाद।

हमारा विचार है कि इस मामले के इस चरण में न्यायालय को केवल यह विचार करना था कि प्रथम दृष्टया मामला बना है या नहीं और क्या अभियुक्त पर आगे मुकदमा चलाने की आवश्यकता है या नहीं, क्योंकि आरोप तय करने और/या डिस्चार्ज आवेदन पर विचार करने के चरण में मिनी ट्रायल की अनुमति नहीं है।

29. उपर्युक्त मामले के कानूनों और न्यायिक अनुमान की पृष्ठभूमि में, यह न्यायालय अब इस तथ्य की जांच करने जा रहा है ताकि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि क्या जांच के दौरान एकत्र किए गए और रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य, जैसा कि आरोपित आदेश में और साथ ही जवाबी हलफनामे में उपलब्ध है, प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं?

30. यह न्यायालय जांच अधिकारी द्वारा जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य की जांच करना उचित और उचित समझता है, जैसा कि केस डायरी में दर्ज किया गया है। उक्त विचार आवश्यक है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **राजीव थापर और अन्य बनाम मदन लाल कपूर (सुप्रा)** में दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए आधार लिया गया है कि भले ही पूरे दस्तावेज पर विचार किया जाए, फिर भी कोई मामला नहीं बनता है।

31. कानून में यह तय है कि यदि जांच अधिकारी द्वारा जांच के दौरान एकत्रित की गई कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है, तो सवाल यह होगा कि संबंधित आरोपी व्यक्ति को मुकदमे की कठोरता का सामना क्यों करना पड़ेगा।

32. इस उद्देश्य के लिए, इस न्यायालय ने केस डायरी की बारीकी से जांच की है। केस डायरी की जांच इसलिए भी जरूरी है क्योंकि विद्वान अपर लोक अभियोजक ने यह आधार लिया है कि विस्फोटक लाइसेंस के असली न होने के अलावा, विस्फोटक पदार्थ ले जाने के लिए जिस समझौते पर आधारित था, वह भी निष्पादन पक्ष द्वारा किए गए खुलासे के अनुसार जाली पाया गया है, इसलिए जांच एजेंसी ने दो आधारों पर आरोप पत्र दाखिल किया है, यानी विस्फोटक का लाइसेंस असली नहीं पाया गया है और झारखंड

एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड और राजेश हेम्ब्रोम के बीच किया गया समझौता भी जाली और मनगढ़ंत पाया गया है।

33.इस न्यायालय ने केस डायरी के कंडिका-38 पर विचार किया है जिससे यह स्पष्ट है कि लाइसेंस संख्या E/HQ/JH/180 (E-6215) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार से मेसर्स झारखंड स्टेट एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड के.के. सहाना कैंपस सहाना रोड, कोडरमा के नाम से जारी किया गया था। जांच अधिकारी को पता चला कि उक्त लाइसेंस अभियुक्त या प्रोपराइटर, अभियुक्त, यहां याचिकाकर्ता अर्थात मेसर्स झा स्टेट एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड के रूपक सिंह के परिवार के सदस्यों के नाम से जारी किया गया था। उक्त लाइसेंस की नवीनीकरण तिथि 31.03.2016 थी। यह भी पता चला है कि लाइसेंस धारक के पास ग्राम-रायडीह, थाना - मरकच्चो, जिला-कोडरमा में विस्फोटक मैगजीन है जिसमें श्रेणी-ii, उप-प्रभाग-iii और डेटोनेटर का हिस्सा रखा जा सकता है।

34.केस डायरी के कंडिका-41 से स्पष्ट है कि झारखंड एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड के साथ चार लीज धारकों (1) मेसर्स रामजानकी मिनरल्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, सियालपहाड़ी, (2) राजेश हेम्ब्रोम, चित्रगढ़िया, (3) अतालिम एस.के. और (4) राजेश कुमार, सभी थाना शिकारीपाड़ा, जिला दुमका के बीच ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग का एक अनुबंध है।

35.केस डायरी के पैरा-42 से स्पष्ट है कि जांच अधिकारी ने फॉर्म 11 और 12 प्राप्त कर उसका अवलोकन किया। फॉर्म 11 में लीज धारक ने झारखंड स्टेट एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड से विस्फोटक की मांग की है, जबकि फॉर्म 12 में जांच अधिकारी ने पाया है कि परिवहन के लिए वाहन का लाइसेंस E/EC/JH/25/426 (E69580) है और वाहन टाटा पिकअप वैन का रजिस्ट्रेशन नंबर JH-12D-9369 है।

36.केस डायरी के पैरा-60 से स्पष्ट है कि झारखंड एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड, कोडरमा ने खदान की ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग के लिए एन/एस-कदरिया स्टोन प्रोडक्ट अतालिम एस.के. पिता बेलाल एस.के. गांव+डाकघर +थाना - मारग्राम, जिला - बीरभूम के साथ नोटरी समझौता भी किया है। इस समझौते में झारखंड एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड, कोडरमा ने अपना लाइसेंस नंबर E/HQ/JH/22/236 (E6217) बताया है।

37.केस डायरी के कंडिका-69 से स्पष्ट है कि पट्टाधारक राजेश हेम्ब्रोम से बातचीत करने पर पता चला कि झारखंड एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड के साथ ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग से संबंधित कोई समझौता नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप सही हैं।

38.केस डायरी के कंडिका-70 से स्पष्ट है कि राजेश कुमार के अधिकृत प्रतिनिधि अशोक कुमार चौधरी ने लिखित रूप से सूचित किया कि झारखंड एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड एक धोखाधड़ी कंपनी है।

39.केस डायरी के कंडिका-74 से स्पष्ट है कि झारखंड एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा (1) इत्तलीम शेख (2) राजेश हेम्ब्रम एवं आर.एस.पी वाइल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के साथ किए गए एकरारनामा को उपरोक्त लीज धारकों (खदानों) द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। जांच में यह बात सामने आई कि झारखंड एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड, कोडरमा ने शिकारीपाड़ा क्षेत्र अंतर्गत पत्थर खदान में ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग की अनुमति से संबंधित कागजात वर्तमान उपायुक्त महो दुमका से प्रस्तुत नहीं किया तथा स्थानीय थाना को भी इसकी सूचना नहीं दी गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि झारखंड एक्सप्लोसिव पद्मा लिमिटेड, कोडरमा द्वारा ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग से संबंधित कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है कि झारखंड एक्सप्लोसिव पद्मा लिमिटेड, कोडरमा ने कब, कहां एवं कितनी मात्रा में भारी मात्रा में विस्फोटक ले जाया।

40.केस डायरी के पैरा-149 से स्पष्ट है कि निरीक्षण, वादी और गवाहों के बयानों और अब तक की जांच से दोनों आरोपियों के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5/6 के तहत एफआईआर में आरोप स्थापित हो गए हैं। पर्यवेक्षण के दौरान, नंदकिशोर मेहता और रूपक सिंह, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप सही पाए गए।

यह भी स्पष्ट है कि जांच के दौरान ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग से संबंधित दस्तावेजों और लाइसेंसों का निर्दिष्ट बिंदुओं पर सत्यापन किया गया है। क्षेत्र में विस्फोटकों की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति का पता लगाकर व्यक्तियों का बयान दर्ज किया गया है। JH-12D-9369 के मालिक रूपक सिंह द्वारा प्रस्तुत विस्फोटकों से संबंधित लाइसेंस वैध नहीं पाया गया है।

यह भी स्पष्ट है कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी पहले ही उपायुक्त द्वारा दी जा चुकी है।

41.इस प्रकार जांच अधिकारी द्वारा जांच के दौरान मंगाई गई सामग्री से यह स्पष्ट है कि झारखंड एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड और राजेश हेम्ब्रोम के बीच किया गया समझौता जाली पाया गया है।

42.इसके अलावा, जांच के दौरान यह पता चला है कि विस्फोटक लाइसेंस 31.03.2016 तक वैध था, इसलिए, हम विद्वान वरिष्ठ वकील की ओर से दिए गए तर्क से प्रभावित नहीं हैं कि जांच एजेंसी द्वारा जांच के दौरान एकत्र की गई केस डायरी में कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है, बल्कि केस डायरी के विभिन्न पैराग्राफों से, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे का सामना करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है।

43.विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने बहुत जोर देकर राज्य द्वारा जवाबी हलफनामे में दिए गए बयान का संदर्भ देते हुए तर्क दिया है, जो इस न्यायालय द्वारा पारित निर्देश के अनुसरण में दायर किया गया है, जिसमें विस्फोटक लाइसेंस के सत्यापन पर पाया गया है कि लाइसेंस वैध था। लेकिन, यहां सवाल यह होगा कि क्या उक्त दस्तावेज, जिसे इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा मांगा गया था, सीआरपीसी की धारा 227 के तहत दायर याचिका के समय न्यायालय के समक्ष उपलब्ध था और उक्त दस्तावेज के आधार पर, क्या यह न्यायालय सीआरपीसी की धारा 227 के तहत याचिका दायर करके निर्वहन के लिए की गई प्रार्थना को खारिज करने वाले विवादित आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है।

44.जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, कानून में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सीआरपीसी की धारा 227 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, न्यायालय को उसमें दायर याचिका पर विचार करते समय मामले के रिकॉर्ड और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करना होता है और इस संबंध में अभियुक्त और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद, न्यायाधीश का मानना है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह अभियुक्त को आरोपमुक्त कर देगा और ऐसा करने के लिए उसके कारणों को दर्ज करेगा। इसका मतलब यह है कि सीआरपीसी की धारा

227 के तहत दायर याचिका पर विचार करने के चरण में अभियुक्त व्यक्ति के लिए दस्तावेजों के साथ आना उपलब्ध नहीं है। कारण यह है कि सीआरपीसी की धारा 227 के स्तर पर, न्यायाधीश को केवल यह पता लगाने के लिए सबूतों की छानबीन करनी होती है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं और दूसरे शब्दों में, आधार की पर्याप्तता में पुलिस द्वारा दर्ज किए गए सबूतों या अदालत के समक्ष पेश किए गए दस्तावेजों की प्रकृति शामिल होगी जो स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं कि अभियुक्त के खिलाफ संदेहास्पद परिस्थितियां हैं ताकि उसके खिलाफ आरोप तैयार किया जा सके और उसके बाद यदि न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं, तो वह सीआरपीसी की धारा 228 के तहत आरोप तैयार करेगा और यदि नहीं, तो वह अभियुक्त को आरोपमुक्त कर देगा।

45. अभियोजन पक्ष द्वारा मुकदमे के लिए मामला बनाया गया है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए मामले के तथ्यों पर अपने न्यायिक दिमाग का प्रयोग करते समय, न्यायालय के लिए मामले के पक्ष और विपक्ष में प्रवेश करना या साक्ष्य और संभावनाओं का वजन और संतुलन करना आवश्यक नहीं है, जो वास्तव में परीक्षण शुरू होने के बाद परीक्षण न्यायालय का कार्य है।

46. इसलिए, यह स्पष्ट है कि मामले के इस चरण में, न्यायालय को केवल यह विचार करना था कि क्या प्रथम दृष्टया मामला बना है या नहीं और क्या अभियुक्त पर आगे मुकदमा चलाने की आवश्यकता है या नहीं, क्योंकि आरोप तय करने और/या उन्मोचन आवेदन पर विचार करने के चरण में, लघु परीक्षण की अनुमति नहीं है।

47. यहां, इस मामले में, प्रथम दृष्टया जांच एजेंसी द्वारा साक्ष्य एकत्र किए गए हैं, जैसा कि केस डायरी के विभिन्न पैराग्राफों में उल्लेख किया गया है।

48. हालांकि, जवाबी हलफनामे में एक दस्तावेज संलग्न किया गया है, जिसमें उक्त विस्फोटक पदार्थ की वास्तविकता दर्शाई गई है, लेकिन केस डायरी के पैराग्राफ-38 से यह स्पष्ट होगा कि विस्फोटक लाइसेंस 31.03.2016 तक वैध था। हालांकि, बाद के दस्तावेज को हलफनामे के माध्यम से रिकॉर्ड पर लाया गया है, जिसमें उक्त लाइसेंस की वैधता 31.03.2022 तक दर्शाई गई

है। लेकिन, यहां यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि तथ्य यह है कि विस्फोटक लाइसेंस और अन्य संबंधित दस्तावेज वाहन मालिक या चालक द्वारा उस समय प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जब इसकी मांग की गई थी या जब वाहन को रोका गया था और इस तरह विभिन्न दस्तावेजों की वास्तविकता और शुद्धता का मूल्यांकन और निर्धारण केवल मामले की सुनवाई के दौरान ही किया जा सकता है।

49.इसके अलावा, जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ-16 से यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में पुलिस ने संबंधित प्राधिकारी से लाइसेंस संख्या E/EC/JH/25/426 (E69580) की वास्तविकता के बारे में पूछताछ की और संबंधित प्राधिकारी के पत्र की फोटोकॉपी जवाबी हलफनामे के साथ अनुलग्नक-एफ के रूप में संलग्न है।

50.हालाँकि, कानून में यह बात अच्छी तरह से स्थापित है कि न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 227 के तहत दायर याचिका पर विचार करते समय ऐसे किसी नए दस्तावेज़ पर गौर नहीं करना चाहिए जो न्यायालय के समक्ष उपलब्ध ही न हो।

51.इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सज्जन कुमार बनाम सीबीआई (सुप्रा)** के मामले में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट रूप से माना है कि धारा 228 सीआरपीसी के तहत आरोप तय करने के चरण में या धारा 227 सीआरपीसी के तहत दाखिल डिस्चार्ज याचिका पर विचार करते समय संबंधित न्यायाधीश को पक्ष और विपक्ष, विश्वसनीयता या स्वीकार्यता आदि सहित सभी सामग्री का विश्लेषण नहीं करना चाहिए। साक्ष्य मूल्य और इसकी विश्वसनीयता और सत्यता पर विचार परीक्षण के चरण में किया जाना चाहिए।

52.तथ्यों और परिस्थितियों तथा कानूनी स्थिति पर विचार-विमर्श के बाद न्यायालय का विचार है कि दस्तावेजों के आधार पर याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत तर्क पर इस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता।

53.इसके अलावा, जांच के दौरान यह आरोप भी सामने आया है कि झारखंड एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड और राजेश हेम्ब्रोम के बीच संपन्न हुआ समझौता भी फर्जी पाया गया, जैसा कि मामले की डायरी के पैरा 69 में उल्लेखित समझौते के निष्पादनकर्ता के बयान में बताया गया है।

54. यह न्यायालय ऊपर की गई चर्चा के आधार पर तथा ऊपर दिए गए निर्णय के अनुसार आरोप तय करने के आदेश के विरुद्ध हस्तक्षेप दर्शाने के लिए कानून की स्थिति पर वापस आता है, जिसमें आवश्यकता यह है कि आरोप तय करने/उन्मुक्ति के चरण में न्यायालय को रिकॉर्ड पर सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है, ताकि यह तय किया जा सके कि क्या उनसे उभरने वाले तथ्यों को उनके अंकित मूल्य पर लेने से कथित अपराध का गठन करने वाले तत्वों के अस्तित्व का पता चलता है।

यहाँ, इस मामले में, हमारा मानना है कि प्रति-शपथपत्र में उल्लिखित एकत्रित सामग्री का अध्ययन करने और उसके अंकित मूल्य पर विचार करने के बाद, जो हमारे प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण के अनुसार अपराध का गठन करने वाले तत्वों की उपस्थिति का खुलासा करता है।

55. इसके परिणामस्वरूप तथा ऊपर की गई चर्चा के आधार पर हमारा विचार है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा अपीलकर्ता को दोषमुक्त करने से इंकार करने के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए प्रस्तुत आधार में कोई दम नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

56. परिणामस्वरूप, तत्काल आपराधिक पुनरीक्षण खारिज किया जाता है।

57. आपराधिक पुनरीक्षण खारिज होने के परिणामस्वरूप, लंबित अंतरिम आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा हो जाता है।

58. आदेश जारी करने से पहले यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष केवल उन्मोचन के मामले से निपटने के उद्देश्य तक ही सीमित हैं और इस प्रकार परीक्षण न्यायालय इस न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए किसी भी निष्कर्ष या परीक्षण के दौरान की गई टिप्पणियों से पूर्वाग्रहित नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद)

(न्यायमूर्ति नवनीत कुमार)

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।